सिंडिकेट बैंक कार्पोरेट वाराणसी

अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या १६३

## संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र, सं० 426 2015 आवेदन सं० 428 २० 12/9/15

चूंकि श्री किंगवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट विनोद कुमार सिंह ने मुझे आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 27/1/12 १९७ से ता० 10/9/15 १९७ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

| क्रम संख्या | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द सं० | वर्ष | पृष्ठ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| | मौजा-कुम्हड़िया (02)<br>खाता- 173, मात्र<br>खसरा- 1611, मात्र | | | | | | | |

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १) बंधक पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

( हस्ताक्षर ):- [illegible signature]

( पदनाम ):- L.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

( हस्ताक्षर ):-

( पदनाम ):-

कार्यालय अपर निबंधन कार्यालय मोहनियाँ

तारीख 12/9/15

अवर निबंधन कार्यालय

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ।
12/9/15

टिप्पणी:- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रदत्त संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ( ट्रान्जेक्शन्स ) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों ( इन्डेक्स ) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकी वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त समति पर प्रभाव पड़ता हो ।